रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०/एन०पी०-91
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 नवम्बर, 2019 ई० (अग्रहायण 2, 1941 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, हापुड़, जनपद हापुड़

27 सितम्बर, 2019 ई०

सं0 665/23/स्वा0वि0/2019-20–नगरपालिका परिषद्, हापुड़, ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016" के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि (प्रारूप) बनायी है।

यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। यह उपविधि पालिका बोर्ड स्वीकृति की प्रत्याशा में बनायी गयी थी, जिसका अनन्तिम प्रकाशन पालिका कार्यालय के पत्र संख्या 2120, दिनांक 26 नवम्बर, 2018 द्वारा दैनिक समाचार-पत्रों में कराया गया, जिसमें निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिमसें बोर्ड द्वारा आवासीय भवनों पर यूजर चार्जेस को छोड़कर शेष प्रस्तावित दरों को यथावत् सर्वसम्मति से स्वीकृति किया गया है। तदानुसार अन्तिम प्रकाशन कराया जा रहा है। उक्त उपविधि का विवरण नगरपालिका परिषद, हापुड की वेबसाइट www.npphapur.nppnp.com पर देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत् है–

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस उपविधि का नाम नगरपालिका परिषद्, हापुड़ की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2018" कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2–लागू होना–

यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, हापुड़, की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक

34-हि० ग्रा०७ A

कार्यालय, नगर निगम, लखनऊ

22 नवम्बर, 2019 ई0

सं0 337/पर्या0अभि0/2019–लखनऊ नगर निगम द्वारा प्रस्तावित कोटपा के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं को तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क-हेतु उपविधि, 2018 के प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध एवं मा0 सदन के संकल्प संख्या 72 दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 437, 438(1), 438घ(2), 541, 542 एवं 543 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541 (20) के अन्तर्गत उपविधि, 2018 का पांडुलेख (ड्राफ्ट) तैयार कर सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उपविधि, 2018 के पांडुलेख पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुये धारा 542 के अन्तर्गत मा0 सदन नगर निगम, लखनऊ द्वारा पारित संकल्प संख्या 72 दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को सर्वसम्मति से पास करते हुये उपविधि, 2018 का प्राकशन स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में निम्नानुसार कराया जाता है–

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि लखनऊ नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2019 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, लखनऊ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2–तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिये योग्यता–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, लखनऊ से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती है।

3–वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 स्थायी दुकानों हेतु रु0 1,000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिये रु0 5,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिये रु0 5,000.00 फुटकर स्थायी विक्रेताओं के लिये रु0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4–तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन–

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा–

(1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जायेगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6-अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जायेगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5–नियम एवं शर्तें–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। दिया गया लाइसेंस अस्थानान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिये ही मान्य होगा।

(5) किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी जायेगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगम निगम, लखनऊ द्वारा निलंबन कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रु0 5,000.00 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक बिक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6—पंजीकरण प्रक्रिया—

(1) नगर निगम, लखनऊ में तम्बाकू उत्पादों के व्यापासर एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संबंध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेगें, जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू बिक्रेताओं को नगर निगम, लखनऊ के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जाचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8—नामित अधिकारी—

नगर निगम, लखनऊ में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु र्प्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य-दिवस में अनुज्ञापित लाइसेन्स जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

9—वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि—

पंजीकरण प्रणाली नगर निगम, लखनऊ के माननीय सदन में प्रेषित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

सूचना

मैं नम्बर IC21099 लेफ्टीनेंट कर्नल स्व0 वासुदेव प्रसाद त्रिपाठी की पुत्री हूँ, मेरा नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार कु0 अनीता त्रिपाठी एवं जन्म-तिथि 01 जून, 1962 है। विवाह के उपरान्त मेरा नाम अनीता मिश्रा हो गया है जबकि मेरा निकनेम मायावती है। मेरे पति की मृत्यु के उपरान्त मैं अपनी माता पर पूर्णतया आश्रित हूँ। अतः मुझे अनीता मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अनीता मिश्रा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि प्रेमजीत सिंह गुजराल एवं प्रेमजीत सिंह दोनों ही नाम मेरे हैं। अतः भविष्य में मुझे प्रेमजीत सिंह गुजराल पुत्र स्व0 अवतार सिंह, निवासी 14-ए, साउथ रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद से लिखा पढ़ा व जाना जाय।

प्रेमजीत सिंह गुजराल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैंने अपना नाम पियूष खत्री (Piyush Khatri) के स्थान पर रोमान ब्रह्म खत्री (Romaan Brahm Khatri) कर लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना जावे। एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

पियूष खत्री (रोमान ब्रह्म खत्री),
पुत्र श्री गोवर्धन खत्री,
नि0-113/79, स्वरूप नगर,
कानपुर नगर।

नगर निगम लखनऊ
खुदरा तम्बाकू विक्रय के लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1 नाम : ....

2 पिता/पति का नाम : ....

3 जन्मतिथि : ....

4 योग्यता : ....

5 निवास स्थान : ....

6 आधार कार्ड नबंर : ....

7 विक्रय केन्द्र हेतु प्रस्तावित जगह : ....

8 लाइसेंस जारी करने का वर्ष : ....

9 प्रस्तावित दुकान की स्कूल से दूरी : ....

–: घोषणा :–

मैं, ... पुत्र .... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारियां सत्य है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक : ....

प्रार्थी का हस्ताक्षर

....

स्थान : ....

प्रार्थी का पता

....

मोबाइल नं0